

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchcharatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 23rd March, 2026

NOTIFICATION

No. 9-18/2025-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was submitted by Sri Durga Malleswari Educational Society on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Dr. RVR NRI Institute of Technology, Pothavarappadu (V), Via Nunna, Agiripalli(M), Krishna, Andhra Pradesh consisting of the following two colleges:

- i. NRI College of Pharmacy, Pothavarappadu (V), Agiripalli (M), Krishna District, Andhra Pradesh
- ii. NRI Institute of Technology, Pothavarappadu (V), Agiripalli (M), Vijayawada (Rural), Andhra Pradesh

3. **And whereas,** the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 26.09.2025 to Sri Durga Malleswari Educational Society for fulfilment of certain conditions within a period of three years before conferment of Institution Deemed to be University status under distinct category in the name of Dr. RVR NRI Institute of Technology, Pothavarappadu (V), Via Nunna, Agiripalli(M), Krishna, Andhra Pradesh.

4. **And further whereas,** the Chairman, Sri Durga Malleswari Educational Society, vide its mail dated 01.12.2025, submitted compliance report in respect of the conditions mentioned in the LoI, which was then forwarded to UGC for verification and advice. In response, UGC informed that the compliance report was placed before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 595th meeting (Item No. 2.25) held on 30.01.2026.

5. **Now, therefore,** in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Dr. RVR NRI Institute of Technology, Pothavarappadu (V), Via Nunna, Agiripalli(M), Krishna, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under distinct category consisting of (i) NRI College of Pharmacy, Pothavarappadu (V), Agiripalli (M), Krishna District, Andhra

पुस्तक

Pradesh and (ii) NRI Institute of Technology, Pothavarappadu (V), Agiripalli (M), Vijayawada (Rural), Andhra Pradesh. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.
- iii. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iv. The academic programmes to be offered at Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- v. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall align its courses with National Education Policy - 2020
- vi. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh
- viii. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. Dr. RVR NRI Institute of Technology, Andhra Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पुनिक वनने


(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23383432

The Manager,
Government of India Press,

Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
2. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
3. The Secretary, Sri Durga Malleswari Educational Society, 39-17-8, Sivananda Street, Labbipet, Vijayawada, Krishna, Andhra Pradesh - 520010.
4. The Principal, NRI College of Pharmacy, Pothavarappadu Village, Agiripalli Mandal, Krishna District, Andhra Pradesh.
5. The Principal, NRI Institute of Technology, Pothavarappadu Village, Agiripalli Mandal, Vijayawada (Rural), Eluru District, Andhra Pradesh.
6. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Govt. of Andhra Pradesh
7. The Registrar, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, Andhra Pradesh - 533003
8. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
9. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
10. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
11. PS to Hon'ble EM
12. Guard file / Notification file.


(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 23 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं. 9-18/2025-U.3(A): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, श्री दुर्गा मल्लेश्वरी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा यूजीसी पोर्टल पर डॉ. आरवीआर एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोथावरप्पाडु (वी), वाया नुन्ना, अगिरिपल्ली (एम), कृष्णा, आंध्र प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें निम्नलिखित दो कॉलेज शामिल हैं:

- i. एनआरआई कॉलेज ऑफ फार्मसी, पोटावरप्पाडु (वी), अगिरिपल्ली (एम), कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
- ii. एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान,, पोटावरप्पाडु (वी), अगिरिपल्ली (एम), विजयवाड़ा (ग्रामीण), आंध्र प्रदेश

3. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, श्री दुर्गा मल्लेश्वरी एजुकेशनल सोसाइटी को डॉ. आरवीआर एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोथावरप्पाडु (V), वाया नुन्ना, अगिरिपल्ली (एम), कृष्णा, आंध्र प्रदेश के नाम से विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 26.09.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अलावा, अध्यक्ष, श्री दुर्गा मल्लेश्वरी एजुकेशनल सोसाइटी ने दिनांक 01.12.2025 के अपने मेल के माध्यम से एलओआई में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को उसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया था जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग

प्रति

द्वारा दिनांक 30.01.2026 को आयोजित अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.25) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

5. अब, **इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा डॉ. आरवीआर एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोथावरप्पाडु (वी), वाया नुन्ना, अगिरिपल्ली (एम), कृष्णा, आंध्र प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय दर्जा देने की घोषणा करता है, जिसमें (i) एनआरआई कॉलेज ऑफ फार्मसी, पोथावरप्पाडु (वी), अगिरिपल्ली (एम), कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश और (ii) एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, पोथावरप्पाडु (वी), अगिरिपल्ली (एम), विजयवाड़ा (ग्रामीण), आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सम-विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iv. डा आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vi. डा आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश द्वारा इनका अनुपालन किया जाएगा।

युजीसी

- viii. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम जापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम जापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- ix. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. डॉ. आरवीआर एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

प्रतिक्रिया


(पूर्णदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002।

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
3. सचिव, श्री दुर्गा मल्लेश्वरी एजुकेशनल सोसायटी, 39-17-8, शिवानंद स्ट्रीट, लब्बीपेट, विजयवाड़ा, कृष्णा, आंध्र प्रदेश-520010
4. प्रधानाचार्य, एनआरआई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोथावरप्पाडु गांव, अगिरिपल्ली मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
5. प्रधानाचार्य, एनआरआई प्रौद्योगिकी संस्थान, पोटावरप्पाडु गांव, अगिरिपल्ली मंडल, विजयवाड़ा (ग्रामीण), एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश
6. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

7. रजिस्ट्रार, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश-533003
8. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
9. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
10. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को उच्चतर
11. शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
12. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव।
13. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 23381578